

अपील संख्या 75/2021

अनवान

छोगाराम बनाम सरकार

दिनांक 11-1-2022

पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट की ओर से उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 115/2016 मे पारित आदेश दिनांक 18-5-2017 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो सुनवाई का क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से इस न्यायालय मे अप्रैल 2021 मे प्राप्त होने पर इस न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गई, जो विचाराधीन है ।

सुनवाई के दौरान अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर न्याय हित मे उक्त अपील इस न्यायालय मे विचाराधीन होने की जानकारी बाबत अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया जाने पर रजिस्टर्ड लिफाफा (अपीलांट) प्राप्तकर्ता का देहान्त हो जाने की रिपोर्ट के साथ पुनः लोटकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है । अपीलांट की ओर से उनके कोई अधिवक्ता या अपीलांट के विधिक वारिसान की ओर से उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु रजिस्टर्ड सूचना के लगभग 9 माह तक कोई उपस्थित नही हो रहे है तथा आज भी अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है। ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील अदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फेसलसुदा होकर दायरा रजिस्टर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ पुनः लौटाया जायें । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

  
जात. सम्भागाय बाबु  
बोवपुर